

* स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक एवं ई-मेल

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, दरभंगा।

पटना, दिनांक-21/3/18

विषय:- 12वें वित्त आयोग (योजना) के अन्तर्गत स्वीकृत दरभंगा शहरी पेयजलापूर्ति फेज- 02 की स्वीकृत राशि ₹2112.67 लाख (एकीस करोड़ बारह लाख सड़सठ हजार रु०) मात्र की योजना के पुनरीक्षण के फलस्वरूप कार्य आवंटन की राशि ₹2284.09 लाख (बाईस करोड़ चौरासी लाख नौ हजार रु०) मात्र पर किये गये एकरारनामा के विरुद्ध विभागीय राज्यादेश सं०- 72, दिनांक- 07.03.2013 एवं आवंटनादेश सं०- 101, दिनांक- 07.03.2013 द्वारा आवंटित राशि ₹171.42 लाख (एक करोड़ एकहत्तर लाख बयालीस हजार रु०) मात्र चालान के माध्यम से कोषागार में जमा कराने के कारण वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹171.42 लाख (एक करोड़ एकहत्तर लाख बयालीस हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2006-07 में 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत दरभंगा शहरी पेयजलापूर्ति योजना फेज- 02 की कुल स्वीकृत राशि ₹2112.67 लाख (एकीस करोड़ बारह लाख सड़सठ हजार रु०) मात्र के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2009-10 में सम्पूर्ण राशि ₹2112.67 लाख (एकीस करोड़ बारह लाख सड़सठ हजार रु०) मात्र आवंटित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में उक्त योजना के पुनरीक्षित कार्य आवंटन की राशि ₹2284.09 लाख (बाईस करोड़ चौरासी लाख नौ हजार रु०) मात्र के विरुद्ध राज्य योजना मद से अवशेष राशि ₹2284.09-₹2112.67 लाख = ₹171.42 लाख विभागीय राज्यादेश सं०- 72, दिनांक- 07.03.2013 एवं आवंटनादेश सं०- 101, दिनांक- 07.03.2013 द्वारा आवंटित की जा चुकी है।

2. नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा के पत्रांक- 5298, दिनांक- 19.12.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विभागीय पत्रांक- 4615, दिनांक- 19.07.2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 तक प्राप्त राशि चालान के माध्यम से कोषागार में जमा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का निदेश प्राप्त हुआ। उक्त निदेश के आलोक में विभागीय राज्यादेश सं०- 72, दिनांक- 07.03.2013 एवं आवंटनादेश सं०- 101, दिनांक- 07.03.2013 द्वारा आवंटित राशि ₹171.42 लाख चालान के माध्यम से कोषागार में जमा कर नगर आयुक्त, नगर

८

निगम, दरभंगा के पत्रांक- 304, दिनांक- 04.02.2017 द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग में उपलब्ध कराया गया। उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र विभागीय पत्रांक- 932, दिनांक- 11.02.2017 द्वारा महालेखाकार (ले० एवं ह०) को समायोजन हेतु प्रेषित किया जा चुका है। नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा के पत्रांक- 5298, दिनांक- 19.12.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा दरभंगा शहरी पेयजलापूर्ति फेज- 02 योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। कार्य समाप्त होते ही उनके द्वारा अवशेष राशि की माँग की जा सकती है। उक्त के आलोक में चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करायी गयी राशि ₹171.42 लाख आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3. वर्णित स्थिति में दरभंगा शहरी पेयजलापूर्ति फेज- 02 योजनान्तर्गत क्षेत्रान्तर्गत पेयजलापूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभागीय राज्यादेश सं०- 72, दिनांक- 07.03.2013 एवं आवंटनादेश सं०- 101, दिनांक- 07.03.2013 द्वारा आवंटित राशि ₹171.42 लाख चालान के माध्यम से कोषागार में जमा कराये जाने के कारण विभागीय राज्यादेश सं०- 147, दिनांक- 21.03.18 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹171.42 लाख (एक करोड़ एकहत्तर लाख बयालीस हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् आवंटित की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	विभागीय राज्यादेश सं० एवं दिनांक तथा आवंटनादेश सं० एवं दिनांक	स्वीकृत/ आवंटित राशि	चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करायी गयी राशि	स्वीकृत एवं आवंटित राशि चालान के माध्यम से कोषागार में जमा कराने के कारण वर्तमान में आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6
1	नगर निगम, दरभंगा	विभागीय राज्यादेश सं०- 72, दिनांक- 07.03.2013 एवं आवंटनादेश सं०- 101, दिनांक- 07.03.2013	171.42	171.42	171.42

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹171.42 लाख (एक करोड़ एकहत्तर लाख बयालीस हजार रु०) मात्र।

4. उक्त आवंटित राशि ₹171.42 लाख (एक करोड़ एकहत्तर लाख बयालीस हजार रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। तदुपरांत चेक/बैंक ड्राफ्ट/RTGS के माध्यम से संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल को राशि उपलब्ध करायी जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी।

5. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार सहित के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी के बाद T.V. नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496/वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।
6. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपायोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"
7. राशि का उपायोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।
8. उक्त आवंटित राशि ₹171.42 लाख (एक करोड़ एकहत्तर लाख बयालीस हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215-जल पूर्ति तथा सफाई- उप मुख्य शीर्ष -01- जल पूर्ति- लघु शीर्ष-191- नगर निगम को सहायता -उप शीर्ष 0101- पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2215011910101 विषय शीर्ष 0101.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।
9. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा।
10. योजना लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तैयार की गई है जो योजना के कार्यकारी एजेंसी भी होंगे। इसके रख-रखाव की जिम्मेवारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन के शर्तों के अनुसार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की होगी। नगर निगम, दरभंगा द्वारा समुचित पर्यवेक्षण किया जायेगा।
11. योजना का कार्यान्वयन ई०-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जायेगा।
12. राशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ की जा रही है कि जलापूर्ति की योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजनाओं के तहत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं से किसी भी परिस्थिति में न हो।

LS

13. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
14. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
15. जिला पदाधिकारी, दरभंगा एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय समय पर किया जायेगा।
16. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/ सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब/जला०-01-12/2012 148 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-21-3-18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-2, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को वेवासाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रबंधक, एम०आई०एस० को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग/पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

आनंद . 21/3/18

* स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक एवं ई-मेल

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

* अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-21/03/18

विषय:- 12वें वित्त आयोग (योजना) के अन्तर्गत स्वीकृत दरभंगा शहरी पेयजलापूर्ति फेज- 02 की स्वीकृत राशि ₹2112.67 लाख (एकीस करोड़ बारह लाख सड़सठ हजार रु०) मात्र की योजना के पुनरीक्षण के फलस्वरूप कार्य आवंटन की राशि ₹2284.09 लाख (बाईस करोड़ चौरासी लाख नौ हजार रु०) मात्र पर किये गये एकरारनामा के विरुद्ध विभागीय राज्यादेश सं०- 72, दिनांक- 07.03.2013 एवं आवंटनादेश सं०- 101, दिनांक- 07.03.2013 द्वारा आवंटित राशि ₹171.42 लाख (एक करोड़ एकहत्तर लाख बयालीस हजार रु०) मात्र चालान के माध्यम से कोषागार में जमा कराने के कारण वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹171.42 लाख (एक करोड़ एकहत्तर लाख बयालीस हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2006-07 में 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत दरभंगा शहरी पेयजलापूर्ति योजना फेज- 02 की कुल स्वीकृत राशि ₹2112.67 लाख (एकीस करोड़ बारह लाख सड़सठ हजार रु०) मात्र के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2009-10 में सम्पूर्ण राशि ₹2112.67 लाख (एकीस करोड़ बारह लाख सड़सठ हजार रु०) मात्र आवंटित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में उक्त योजना के पुनरीक्षित कार्य आवंटन की राशि ₹2284.09 लाख (बाईस करोड़ चौरासी लाख नौ हजार रु०) मात्र के विरुद्ध राज्य योजना मद से अवशेष राशि ₹2284.09-₹2112.67 लाख = ₹171.42 लाख विभागीय राज्यादेश सं०- 72, दिनांक- 07.03.2013 एवं आवंटनादेश सं०- 101, दिनांक- 07.03.2013 द्वारा आवंटित की जा चुकी है।

2. नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा के पत्रांक- 5298, दिनांक- 19.12.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विभागीय पत्रांक- 4615, दिनांक- 19.07.2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 तक प्राप्त राशि चालान के माध्यम से कोषागार में जमा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का निदेश प्राप्त हुआ। उक्त निदेश के आलोक में विभागीय राज्यादेश सं०- 72, दिनांक- 07.03.2013 एवं आवंटनादेश सं०- 101, दिनांक- 07.03.2013 द्वारा आवंटित राशि ₹171.42 लाख चालान के माध्यम से कोषागार में जमा कर नगर आयुक्त, नगर

निगम, दरभंगा के पत्रांक- 304, दिनांक- 04.02.2017 द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग में उपलब्ध कराया गया। उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र विभागीय पत्रांक- 932, दिनांक- 11.02.2017 द्वारा महालेखाकार (ले० एवं ह०) को समायोजन हेतु प्रेषित किया जा चुका है। नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा के पत्रांक- 5298, दिनांक- 19.12.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा दरभंगा शहरी पेयजलापूर्ति फेज- 02 योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। कार्य समाप्त होते ही उनके द्वारा अवशेष राशि की माँग की जा सकती है। उक्त के आलोक में चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करायी गयी राशि ₹171.42 लाख आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3. वर्णित स्थिति में दरभंगा शहरी पेयजलापूर्ति फेज- 02 योजनान्तर्गत क्षेत्रान्तर्गत पेयजलापूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभागीय राज्यादेश सं०- 72, दिनांक- 07.03.2013 एवं आवंटनादेश सं०- 101, दिनांक- 07.03.2013 द्वारा आवंटित राशि ₹171.42 लाख चालान के माध्यम से कोषागार में जमा कराये जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹171.42 लाख (एक करोड़ एकहत्तर लाख बयालीस हजार रु०) मात्र की स्वीकृति सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	विभागीय राज्यादेश सं० एवं दिनांक तथा आवंटनादेश सं० एवं दिनांक	स्वीकृत/ आवंटित राशि	चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करायी गयी राशि	स्वीकृत एवं आवंटित राशि चालान के माध्यम से कोषागार में जमा कराने के कारण वर्तमान में स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
1	नगर निगम, दरभंगा	विभागीय राज्यादेश सं०- 72, दिनांक- 07.03.2013 एवं आवंटनादेश सं०- 101, दिनांक- 07.03.2013	171.42	171.42	171.42

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹171.42 लाख (एक करोड़ एकहत्तर लाख बयालीस हजार रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹171.42 लाख (एक करोड़ एकहत्तर लाख बयालीस हजार रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। तदुपरांत चेक/बैंक ड्राफ्ट/RTGS के माध्यम से संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल को राशि उपलब्ध करायी जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी।

5. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार सहित के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी के बाद T.V. नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496/वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।
6. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"
7. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।
8. उक्त स्वीकृत राशि ₹171.42 लाख (एक करोड़ एकहत्तर लाख बयालीस हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215-जल पूर्ति तथा सफाई- उप मुख्य शीर्ष -01- जल पूर्ति- लघु शीर्ष-191- नगर निगम को सहायता -उप शीर्ष 0101- पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2215011910101 विषय शीर्ष 0101.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।
9. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा।
10. योजना लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तैयार की गई है जो योजना के कार्यकारी एजेंसी भी होंगे। इसके रख-रखाव की जिम्मेवारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन के शर्तों के अनुसार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की होगी। नगर निगम, दरभंगा द्वारा समुचित पर्यवेक्षण किया जायेगा।
11. योजना का कार्यान्वयन ई०-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जायेगा।
12. राशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ की जा रही है कि जलापूर्ति की योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजनाओं के तहत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं से किसी भी परिस्थिति में न हो।

6

13. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
14. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/जला०-01-12/2012 के पृष्ठ सं०-22/टि० पर दिनांक- 20.03.2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्रधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०- 23.../टि० पर दिनांक- 20.03.2018 को प्राप्त है।
15. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
16. जिला पदाधिकारी, दरभंगा एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय समय पर किया जायेगा।
17. इसकी सूचना सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

21.3.18
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब/जला०-01-12/2012 147 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-21.03.18
प्रतिलिपि:- सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-2, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को वेवासाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रबंधक, एम०आई०एस० को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.3.18
सरकार के विशेष सचिव।

आम्र. 147